-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖**यातायात पुलिस व थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा संयुक्त रुप से थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित आर्य कन्या इण्टर कॉलेज में चलाया गया वृहद जागरुकता अभियान। छात्राओं को उनकी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कानून, सहायता सेवाओं, साइबर अपराधों, यातायात नियमों व सुरक्षित यात्रा आदि के बारे में जानकारी देकर किया गया जागरुक।**

विवरण- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सघन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 03.11.2025 को यातायात पुलिस व थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा संयुक्त रुप से थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित आर्य कन्या इण्टर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को जागरुक किया गया। इस दौरान छात्राओं को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, सहायता सेवाओं, महिला अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों, हेल्पलाइन नम्बरों, यातायात नियमों के पालन करने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं वर्तमान में आधुनिक तरीकों से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें- **केवाईसी अपडेट के नाम पर** फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगना। **ओटीपी फ्रॉड जिसमें** कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करना। **यूपीआई स्कैम (UPI Scam), सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी कॉल्स,** आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही साइबर अपराध/ठगी का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर हेल्पलाइन नम्बर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया जिसमें **ट्रैफिक संकेतों** एवं **नियमों** का पालन करने, **हेलमेट और सीट बेल्ट** पहनने की अनिवार्यता तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों, **ओवर स्पीडिंग**, वाहन चलाते समय **मोबाइल फोन के प्रयोग,** दो पहिया वाहन चलाते समय दो से अधिक लोगो बैठने/बैठाने, **गलत दिशा में वाहन चलाने** के खतरों आदि के बारे में अवगत कराया गया साथ ही यात्रा करते समय महिलाओं को बरती जाने वाली सावधानियों जैसे-देर रात अकेले यात्रा से बचने, यात्रा करते समय गाड़ी के नम्बर याद करके बैठना, बिना नम्बर प्लेट/फाल्टी नम्बर प्लेट के वाहनों से यात्रा से बचने, गाड़ी में यात्रा करतें से समय परिजनों को समय-समय पर लोकेशन की सूचना देने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही किसी भी आपात स्थिति में डायल यू0पी0 112 पर फोन करने/किसी भी नजदीकी थाने पर सूचना देने की सलाह दी गई।